

परिपत्र संख्या-विधि-2(1)फार्म मिसिंग-(3)(2010-2011)/ 985/ 1011036 /वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ // दिनांक // 18 अगस्त, 2010

विज्ञप्ति
विषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम -12बी(20) एवं 25बी (12) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुये एवं 30प्र0 मूल्य सम्बर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा 81 को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यापारियों से उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित फार्म मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई है। अतः इन फार्मों का प्रयोग अवैध होगा :-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	मेसर्स श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी चरखारी (महोबा) ।	फार्म-3ग(1) संख्या- 376550,509620, 149548, 191837, 087739, 087757, 087758, 114137 एवं 177736	खोने के कारण	09
2-	मेसर्स श्रीदुर्गा उद्योग खटेला (महोबा)	फार्म-3ग(1) संख्या- 012662	खोने के कारण	01
3-	मेसर्स कादरी राईस मिल रिछा,तहसील बहेड़ी, बरेली	फार्म-3ग(1) संख्या- 051015 से 051022 तक	खोने के कारण	08
4-	मेसर्स वजीर इण्डस्ट्रीज , रिछा तहसील बहेड़ी, बरेली ।	फार्म-3ग (1) संख्या-051339 से 051344 तक	खोने के कारण	06
5-	सर्वश्री राजन ओवरसीज , आई. एन. सी. पण्डित नंगला , बाईपास रोड, मुरादाबाद ।	फार्म-डी संख्या- 03/01 जिस पर चस्पा ई.ई.पी.यू. का टिकट संख्या- 0332310 लगा हुआ था	खोने के कारण	01
6-	सर्वश्री मारुति पेपर्स लि० सिक्का, शामली	फार्म- 3बी, संख्या- 023626, 023627 एवं 023628	खोने के कारण	03
7-	सर्वश्री अनिरुद्ध फूड्स लिमिटेड, डांडी जिला- चन्दौली	फार्म- 3ख संख्या- 250318	खोने के कारण	01
8-	मेसर्स एम०पी० वुलिया 29/ 28/ एस-22, नमक की मण्डी, आगरा	फार्म- 3'क' संख्या- 770711 एवं 770712	खोने के कारण	02
9-	सर्वश्री डायनामिक फूड प्रोडक्ट,कालपी (जालौन)	फार्म- 3ग (1) संख्या- 099697	खोने के कारण	01

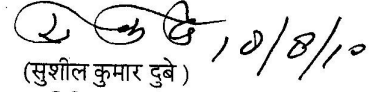
(एस०पी०श्रीवास्तव)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

प्र0प्र0सं0 एव दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- महालेखाकार, उ0प्र0 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 5- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि0अनु0शा0/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 8- समस्त डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 9- ज्वाइन्ट कमिशनर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ ।
- 10- समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों ।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 12- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
- 13- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ ।



(सुशील कुमार दुबे)

असिस्टेन्ट कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय ।